

**उत्तर पश्चिम रेलवे यांत्रिक (कैरिज-वैगन) विभाग बीकानेर मंडल
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा बी के अनुसार
अधिनियम का क्रियान्वयन**

1. संगठन का विवरण, कार्य एवं दायित्व

मंडल स्तर पर व. मंडल यांत्रिक इंजीनियर/पावर/बीकानेर यांत्रिक कैरिज-वैगन विभाग के संपूर्ण प्रभारी हैं। सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर/ कैरिज-वैगन एवं 02 सहायक कोचिंग डिपो अधिकारी श्रीगंगानगर एवं बीकानेर, एस.एस.ई. डिपो प्रभारी बीकानेर, लालगढ़, श्रीगंगानगर, हिसार, भिवानी, सूरतगढ़ एवं चुरू उनके सहायक हैं। कैरिज-वैगन कंट्रोल परिचालन कंट्रोल गाड़ियों के सहज तथा संरक्षित परिचालन में सहयोग करता है। कैरिज-वैगन पर्यवेक्षकों के अधीन कार्यरत अनुरक्षण कर्मचारी रोलिंग स्टॉक तथा ब्रेक डाउन उपकरणों आदि के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

यांत्रिक विभाग के कार्य

- (1) कोचिंग तथा फ्रेट रोलिंग स्टॉक का अनुरक्षण
- (2) ब्रेक डाउन उपकरणों का संचालन व अनुरक्षण, रेल दुर्घटना की स्थिति में पुनः बहाली, राहत तथा बचाव कार्य करना

2. अधिकारियों एवं प्रभारियों की शक्तियां व दायित्व

S.No.	Designation	Duties
01	व. मंडल यांत्रिक इंजीनियर/ कैरिज वैगन	यांत्रिक (कैरिज वैगन) विभाग के संपूर्ण प्रभारी हैं। विभाग का संपूर्ण प्रबंधन तथा समस्त गतिविधियों का समन्वय, निर्णय, अनु. अपील नियम पर कार्यवाही, संबंधित सामग्री व्यवस्था के लिए वित्तीय शक्तियों का उपयोग, कैरिज-वैगन विभाग के तहत आने वाले कार्यों के लिए ठेकेदारों को कार्य देना तथा वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध जारी करना, मंडल के अन्य विभागों तथा प्रधान कार्यालय से समन्वय बनाए रखना उनके कार्य दायित्व हैं।
02	सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर/ कैरिज वैगन एवं सहायक कोचिंग डिपो अधिकारी	कार्य इकाई के स्तर पर कैरिज-वैगन विभाग की गतिविधियों का प्रबंधन, मंडल मुख्यालय से कार्य इकाई के मध्य सहज कार्य व्यवस्था के लिए समन्वयन, अनु. अपील नियम पर कार्यवाही, संबंधित सामग्री व्यवस्था के लिए वित्तीय शक्तियों का उपयोग, अनुबंधक कार्यों की जांच, यांत्रिक विभाग के अधीन उपलब्ध उपकरणों तथा प्रमुख परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा सहज कार्य प्रणाली की निगरानी उनके कार्य दायित्व हैं।
03	एस.एस.ई. डिपो प्रभारी	कोच केयर कॉम्प्लेक्स की गतिविधियों का प्रबंधन, मंडल कार्यालय से सहज कार्यप्रणाली के लिए समन्वय, अनु. अपील नियम पर कार्यवाही, संबंधित सामग्री व्यवस्था के लिए वित्तीय शक्तियों का उपयोग, अनुबंधक कार्यों की जांच, कोच केयर कॉम्प्लेक्स के अधीन उपलब्ध उपकरणों तथा प्रमुख परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा सहज कार्य प्रणाली की निगरानी उनके कार्य दायित्व हैं।

04	इंजीनियर (कैरिज वैगन)	यात्री कोचों के अनुरक्षण का पर्यवेक्षण, कैरिज वैगन के अधीन अनुबंधक कार्यों की जांच, अनुरक्षण कार्यों पर पर्यवेक्षण तथा ब्रेक डाउन उपकरणों का संचालन, अनुरक्षण कार्यों के लिए कर्मचारियों का प्रबंधन।
----	-----------------------	--

3. निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर्यवेक्षण क्रम सहित

कार्य स्थल की इकाइयों की गतिविधि विभिन्न वेतनमानों में कार्यरत संबंधित पर्यवेक्षकों के अधीन चलती हैं। यांत्रिक कैरिज में दो स्तर का पर्यवेक्षण है जो जूनियर इंजीनियर (कैरिज-वैगन), सीनियर सेक्शन इंजीनियर कैरिज-वैगन के पास है जो डिपो की गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं तथा दैनंदिन कार्यों के निपटान पर निर्णय करते हैं। ऐसे मामले जिनमें इनके स्तर पर निर्णय संभव नहीं है को उच्च प्राधिकारी कोचिंग डिपो अधिकारी, कोच केयर कॉम्प्लेक्स जयपुर तथा स. म. यांत्रिक इंजीनियर (कैरिज) को भेजा जाता है।

बड़े निर्णय जैसे नीतिगत निर्णय, कर्मचारी कल्याण, पदों की रचना, अतिरिक्त संपत्तियां, सुविधाओं की रचना व विस्तार शाखाधिकारी वरिष्ठ म. यांत्रिक इंजीनियर (कैरिज) द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय जो वरिष्ठ म. यांत्रिक इंजीनियर (पी) की सक्षमता के परे हैं को अपर मंडल रेल प्रबंधक या मंडल रेल प्रबंधक को भेजा जाता है तथा उच्चतर स्तर पर क्षेत्रीय मुख्यालय को भेजा जाता है।

4 स्थापित मानदंड तथा कार्य निष्पादन रीति

क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा प्रत्येक मंडल के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। मंडल इकाइयाँ या कार्य इकाइयाँ क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों अनुसार कार्य करती हैं। रेलवे बोर्ड स्तर पर कुछ विशिष्ट मदों पर कार्य तय होता है जिसे विभिन्न मंडल इकाइयाँ या कार्य इकाइयाँ क्षेत्रीय मुख्यालय के पर्यवेक्षण तथा दिशा निर्देशन में कार्य करती हैं। फ्रेट रखरखाव के लिए कुछ निश्चित लक्ष्य हैं जैसे रास्ते में अलग किए गए वैगनों की संख्या, ट्रेन पार्टिंग मामलों की संख्या, कमजोर ब्रेक पावर की संख्या आदि, कोचिंग सेवाओं के लिए लक्ष्य हैं रास्ते में अलग किए गए वैगनों की संख्या, प्राइमरी डिपो में शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए अटैंड किए गए कोचों की संख्या, खराब अनुरक्षण के कारण समयपालन में हुई हानि के मामले। इसके अतिरिक्त संरक्षा निष्पादन के लिए दिए गए लक्ष्य भी हैं जैसे विभिन्न स्तरों पर किए गए संरक्षा निरीक्षण की कुल संख्या, विभिन्न स्तरों पर आयोजित संरक्षा अभियान, कैरिज-वैगन के कारण हुए रेल अवपथन तथा दुर्घटनाओं की संख्या। इसके अलावा लौह तथा अलौह स्क्रैप के निपटान के लक्ष्य भी दिए जाते हैं।

5 कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन हेतु काम में लिए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल तथा अभिलेख

(अ) नियम एवं विनियम

रेल सेवा आचरण नियम
अनुशासन एवं अपील नियम
कार्य घंटों के विनियम
पास नियम
छुट्टी नियम
पेंशन नियम

(ब) निर्देश एवं मैनुअल्स

भारतीय रेल स्थापना नियमावली

भारतीय रेल वित्त नियमावली

अनुबंध की सामान्य शर्तें तथा मानक विनिर्देश

कोच अनुरक्षण मैनुअल

वैगन अनुरक्षण मैनुअल

सामान्य नियम एवं सेवा नियम

दुर्घटना नियमावली

भारतीय रेलवे भंडार नियमावली

भारतीय रेलवे कॉन्फ्रेंस नियम भाग 3 व 4

आर डी एस ओ द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न तकनीकी पेंफलेट तथा दिशा निर्देश

रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देश

सामान्य एवं सहायक नियम

6 दस्तावेजों की कोटियों का विवरण जो यहां रखे जाते हैं

कोड, मैनुअल्स विशिष्ट विवरण, आरेख, रखरखाव संबंधी दस्तावेज, अभिलेख, फाइलें विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण तथा सुधारात्मक कार्यवाही के लिए रखे गए हैं। बोर्ड के नीति व दिशा निर्देशन, विभिन्न कोड मैनुअल्स की करेक्शन स्लिप शामिल हैं। कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के आंतरिक पत्राचार भी हैं जो सामान्य जन से सीधे संबंधित नहीं हैं।

7. जन प्रतिनिधियों के साथ नीतिगत निर्णयों तथा उनके क्रियान्वयन के संबंध में की गई व्यवस्था संबंधी विवरण

आंतरिक मामलों के लिए अनौपचारिक बैठकों, मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ स्थाई वार्ता तंत्र की आवधिक बैठकों की व्यवस्था है जिनमें स्थापना, परिचालन, कर्मचारी कल्याण के विविध मामलों पर चर्चा के साथ हल निकाला जाता है। सार्वजनिक मामलों में के शाखाधिकारी के पास कोई शक्ति नहीं है जिसके तहत वह जन प्रतिनिधियों के साथ किसी भी प्रकार की बैठक रख सकता हो, हालांकि मंडल रेल प्रबंधक उपभोक्ता सलाहकार समिति के साथ आवधिक बैठकें रखते हैं तथा आवश्यकतानुसार जन संबंधी विषय पर प्रेस वार्ता रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंडल पर जनसंपर्क संगठन है जो इस प्रकार के अभ्यावेदन स्वीकार करता है। यात्री गाड़ियों में सेवा तथा यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए रेल यात्रियों से रेल प्रशासन शिकायतें एवं सुझाव स्वीकार करता है तथा उनका समाधान भी करता है।

8. बोर्ड, काउन्सिल, समिति या अन्य संस्था जो दो या अधिक सदस्यों की हो जो इसका भाग हो या सलाह के लिए बनाई गई हो, ऐसे बोर्ड, काउन्सिल, समिति या अन्य संस्था जो जनता के लिए खुली हो या जिसकी बैठक या कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हों का विवरण यांत्रिक में ऐसा कोई बोर्ड, काउन्सिल, समिति या अन्य संस्था नहीं है।

9 इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

क्रम सं	नाम	पदनाम	रेलवे फोन	मोबाईल नंबर
1	श्री दीपक डामोर	व.मं.यां,इंजी. (कैववै)	44500	9001197400
2	श्री नवीन कुमार	स.मं.यां,इंजी. (कैववै)	-	9001197404
3	श्री लुकमान अली	स.को.डि.अधि. श्री गंगानगर	-	9001197403
4	श्री विजय प्रकाश राठौड़	स.को.डि.अधि. बीकानेर	-	9001197407
5	श्री खिलाडी राम मीणा	एस.एस.ई./सी.टी.ए (फ्रेट)	44532	9001197424
7	श्री रवि शंकर	एस.एस.ई./ कोचिंग (जन शक्ति)	-	9001197416
8	श्री अजय कुमार	एस.एस.ई./ निविदा	-	9001197420
9	श्री मनोज कुमार तावणिया	एस.एस.ई./मशीन & कार्य परियोजना	-	9001197405
6	श्री हेमंत चौहान	एस.एस.ई./ (कै.व.वै.)	-	9251003905
10	श्री राकेश	एस.एस.ई./ सामग्री	44518	9251003906
11	श्री दीपक जैन	एस.एस.ई./कण्टोल	44504	9001197422
12	श्री राम सिंह मीणा	एस.एस.ई./प्रभारी/बीकानेर	44516	9001197421
13	श्री अशोक कुमार प्रसाद	एस.एस.ई./प्रभारी/लालगढ़	44253	9001197412
14	श्री हरिनारायण	एस.एस.ई./प्रशिक्षण	45658	9001197417
15	श्री हजारी लाल मीणा	एस.एस.ई./प्रभारी/ए.आर.टी	-	9001197409
16	श्री किशन लाल	एस.एस.ई./प्रभारी/श्रीगंगानगर	49366	9001197414
17	श्री सुधीर कुमार लेकरा	एस.एस.ई./प्रभारी/भिवानी	48366	9729595396
18	श्री राजपाल	एस.एस.ई./प्रभारी/सुरतगढ़	43366	9001197411
19	श्री महेंद्र कुमार शर्मा	एस.एस.ई./प्रभारी/हिसार	-	9729595594
20	श्री जीवन राम मीणा	एस.एस.ई./प्रभारी/चुरू	-	9001197425
21	मो. सलीम	मुख्य कार्यालय अधीक्षक	-	9251003915

10 मासिक रूप से अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पे-लेवल	ग्रेड-पे
1	श्री दीपक डामोर	व.मं.यां,इंजी. (कैववे)	L-12	15600-39100
2	श्री नवीन कुमार	स.मं.यां,इंजी. (कैववे)	L-10	15600-39100
3	श्री लुकमान अली	स.को.डि.अधि. श्री गंगानगर	L-8	9300-34800
4	श्री विजय प्रकाश राठौड़	स.को.डि.अधि. बीकानेर	L-8	9300-34800
5	श्री खिलाडी राम मीणा	एस.एस.ई./सी.टी.ए (फ्रेट)	L-8	9300-34800
6	श्री रवि शंकर	एस.एस.ई./ कोचिंग (जन शक्ति)	L-8	9300-34800
7	श्री अजय कुमार	एस.एस.ई./ निविदा	L-8	9300-34800
8	श्री मनोज कुमार तावणिया	एस.एस.ई./मशीन & कार्य	L-7	9300-34800
9	श्री अनुज	एस.एस.ई./ सामग्री	L-7	9300-34800
10	श्री हेमंत चौहान	एस.एस.ई./ (कैववे)	L-7	9300-34800
11	श्री दीपक जैन	एस.एस.ई./कण्टोल	L-7	9300-34800
12	श्री राम सिंह मीणा	एस.एस.ई./प्रभारी/बीकानेर	L-8	9300-34800
13	श्री अशोक कुमार प्रसाद	एस.एस.ई./प्रभारी/लालगढ़	L-8	9300-34800
14	श्री हरिनारायण	एस.एस.ई./प्रशिक्षण	L-8	9300-34800
15	श्री हजारी लाल मीणा	एस.एस.ई./प्रभारी/ए.आर.टी	L-8	9300-34800
16	श्री क्रिशन लाल	एस.एस.ई./प्रभारी/श्री गंगानगर	L-8	9300-34800
17	श्री सुधीर कुमार लेकरा	एस.एस.ई./प्रभारी/भिवानी	L-8	9300-34800
18	श्री राजपाल	एस.एस.ई./प्रभारी/सूरतगढ़	L-7	9300-34800
19	श्री महेंद्र कुमार शर्मा	एस.एस.ई./प्रभारी/हिसार	L-7	9300-34800
20	श्री जीवन राम मीणा	एस.एस.ई./प्रभारी/चुरू	L-8	9300-34800
21	मो. सलीम	मुख्य कार्यालय अधीक्षक	L-8	9300-34800

11 इसकी समस्त एजेन्सियों को आवंटित बजट जो समस्त प्रस्तावित प्लान के खर्चों तथा भुगतान की रपट को बताने वाला हो

S.No	Demand No.	Budget Grant 22-23
1	6D 200	156517
2	D 300	1431
3	6D 200 PU 27	6315
4	6D 300 PU 27	4894
5	6D 200 PU32	40245
6	8F 500 PU 27	156517

12. अनुदानिक कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रमों को आवंटित राशि तथा उससे लाभान्वित होने वालों का विवरण – लागू नहीं

13 रियायत प्राप्त करने वालों का विवरण या इसे प्रदत्त प्राधिकार – लागू नहीं

14 सूचना के संबंध में विवरण जो रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में है- लागू नहीं

15. नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने, कार्य घंटों के दौरान पुस्तकालय या पठन कक्ष की व्यवस्था यदि जनता के लिए की गई हो –जन सूचना अधिकारी- जन सूचना अधिकार प्रकोष्ठ, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बीकानेर से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

16 जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण – श्री आर एस चौधरी, वरिष्ठ बिजली इंजीनियर, उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर

17. अन्य प्रकार की ऐसी सूचना जो निर्धारित है तथा जिसका वार्षिक प्रकाशन अद्यतन किया जाता हो – लागू नहीं

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देश

क्र सं	मद	टिप्पणी
1	व्यय संविदा, जिसके लिए पंजीकृत / अनुमोदित सूची अनुरक्षित की जाती है , के लिए ठीकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं / वेंडर्स का पंजीयन	कुछ नहीं
2	व्यय संविदा, जिसके लिए पंजीकृत / अनुमोदित सूची अनुरक्षित की जाती है , के लिए ठेकेदारों का पंजीयन	कुछ नहीं
3	भंडार विभाग द्वारा प्राप्ति के संदर्भ में व्यवसाय समूहों एवं श्रेणी के अनुसार फर्मों का पंजीयन	लागू नहीं
4	चिकित्सा आपूर्ति एवं हेल्थ केयर के लिए फर्मों / चिकित्सालयों का पंजीयन	लागू नहीं
5	उपरोक्त मद सं 1,2,3 तथा 4 के संदर्भ में पंजीयन का नवीनीकरण/ पुनः पंजीयन	कुछ नहीं
6	निदेशालय परिचालन प्रक्रिया (डी ओ पी) तथा तकनीकी आवश्यकता की अनुसूची (एस टी आर) के साथ आर डी एस ओ द्वारा वेंडर्स का अनुमोदन (पार्ट I या पार्ट II दोनों) । उन्हें आवंटित किए गए मदों के स्रोत के अनुमोदन के लिए डी एल डब्ल्यू, सी एल डब्ल्यू, आई सी एफ, आर सी एफ द्वारा समतुल्य कार्रवाई की जानी चाहिए।	लागू नहीं
7	आर डी एस ओ, कोर, डी एल डब्ल्यू, सी एल डब्ल्यू, आई सी एफ, आर सी एफ द्वारा वेंडर्स के अनुमोदन का नवीनीकरण (पार्ट I या पार्ट II दोनों)	लागू नहीं
8	वेंडर्स का भाग II सूची से भाग I सूची में उन्नयन	लागू नहीं
9	आर टी एस ए तथा सी बी ए के लाइसेंस	लागू नहीं
10	पी सी ओ बूथ लाइसेंस	लागू नहीं
11	वाणिज्यिक भूखंड	लागू नहीं
12	भंडारण की अनुमति	लागू नहीं
13	पे एंड यूज प्रसाधन लाइसेंस	लागू नहीं
14	फूड प्लाजा के लिए लीज देना	लागू नहीं
15	पार्सल संबंधी कार्य एवं यानान्तरण का लाइसेंस	लागू नहीं
16	मांग पत्रों का पंजीकरण तथा रेक्स का आवंटन	उप शीर्ष लिंक देखें
17	पर्यटक कार, कोच एवं ट्रेन बुकिंग	लागू नहीं
18	क्षतिपूर्ति के दावों के लिए आवेदन पत्र	लागू नहीं

19	मालभाड़ा एवं किराए की धन वापसी (रिफंड) के लिए आवेदन पत्र	लागू नहीं
20	डैमरेज एवं व्हाईफेज को माफ करना	लागू नहीं
21	संविदा पर सलाहकार चिकित्सक की नियुक्ति एवं इसका नवीनीकरण	लागू नहीं
22	सांस्कृतिक कोटा, खेल कूद कोटा, विकलांग कोटा तथा स्काउट एवं गाइड के सापेक्ष नियुक्ति, रिक्तियां/ परीक्षा तिथि	लागू नहीं
23	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले	कुछ नहीं
24	ठीकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान के सभी बिलों की स्थिति	अपलोड किया गया है
25	रेलवे भर्ती बोर्ड तथा आर पी एफ/ आर पी एस एफ द्वारा भर्ती	लागू नहीं
क	रोजगार सूचना जिसमें रिक्तियों की संख्या, कोटि, राज्य (केवल आर पी एफ एवं आर पी एस एफ के मामलों में) समुदाय अनुसार, पात्रता आदि	कुछ नहीं
ख	आवश्यक सूचनाओं सहित आवेदन पत्रों की प्राप्ति की स्पष्ट स्थिति	कुछ नहीं
ग	निरस्त किए गए आवेदनों का विवरण	कुछ नहीं
घ	बुलावा पत्र जारी करने का विवरण	कुछ नहीं
ड	परीक्षा की तिथि एवं समय तथा परीक्षा का स्थान	कुछ नहीं
च	परिणाम तथा पैनल का प्रकाशन	कुछ नहीं
छ	परिणाम रोकने या परीक्षा निरस्त करने संबंधी सूचना	कुछ नहीं
26	स्टोर कान्ट्रैक्ट के माध्यम से इंजीनियरिंग, यांत्रिक, बिजली, सिगनल एवं दूरसंचार तथा चिकित्सा विभागों के 1 करोड़ से अधिक, वाणिज्य विभाग का 0.50 लाख तथा 20 लाख से अधिक मूल्य की सभी खरीद के निविदा / निर्माण संविदा का विवरण । कार्य प्रारंभ/समाप्ति की वास्तविक तिथि/ यदि देरी हुई तो उसका कारण।	परिशिष्ट 1
27	क्र सं 26 के अनुसार सभी निर्माण संविदा / खरीद का मासिक विवरण	परिशिष्ट 1
28	सभी प्रकार के लाइसेंस, अनुमति, क्लीयरेंस	कुछ नहीं
29	सभी प्रकार के आवेदन प्रफार्मा, वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिए जिन्हें डाउनलोड किया जा सके। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् दस्तावेजों में पाई गई कमियां / भेजी गई सूचना	कुछ नहीं
30	प्रत्येक आवेदन / मामले की स्थिति	कुछ नहीं